रजिस्ट्री सं डी (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 425] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 18, 1991/कार्तिक 27, 1913
No. 425] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 18, 1991/KARTIKA 27, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर 1991

सा. का. नि. 694(अ) पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 66 (1984 की 52) के उपबन्धों के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पशुचिकित्सा परिषद केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति के साथ निम्नलिखित विनियम एतद्द्वारा बनाती है :—

1. ये विनियम भारतीय पशुचिकित्सा परिषद विनियम (सादास्य) 1991 कहलायेंगे में / यह अधिनियम तत्काल लागू होंगे ।

2. जब तक की प्रसंग न हो इन नियमों की प्रथमा आवश्यक होगा,

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) से है ।

(ख) "परिषद" का अभिप्राय इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई भारतीय चिकित्सा परिषद से है ।

(ग) "परिषद के कर्मचारी" से तात्पर्य इस अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त किए व्यक्ति से है ,

(घ) "कार्यकारिणी समिति" या "समिति" का अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत संगठित कार्यकारिणी समिति या समिति से है ।

(ङ) अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त 'समूह' में दफ्तरी, अमादार, चपरासी, चौकीदार तथा स्वाई कर्मचारी शामिल है ।

(च) 'निरीक्षक' से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त पशुचिकित्सा निरीक्षक से है

(छ) "सदस्य का अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत चुने गए या नामित सदस्य हैं ।

(ज) "अनुसचिवीय स्टाफ" का अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त पर्यवेक्षक, प्रधान लिपिक लेखाकार, सेक्शन सहायक, रोकडिया, कम्प्यूटर आपरेटर स्वागतकर्ता, लिपिक, भाषानुवादक, टंकक, मैसेंजर, आपरेटर, स्टाफ कार ड्राईवर से हैं ।

(झ) "अध्यक्ष" से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चुना गया भारतीय पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष से है,

(ट) "उपाध्यक्ष" से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन चुने गए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के उपाध्यक्ष से है।

(ठ) "सचिव" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त "सचिव" से है।

(ड) "परिनिर्णय" से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा 20 की उप धारा (1) के अधीन दिया गया "परिनिर्णय" से है।

3. इस परिषद का कार्यालय दिल्ली में स्थित होगा।

भाग 1 से भाग 9 तक

भाग 1

परिषद की बैठक के समय स्थान तथा कार्य की तैयारी

4. (1) परिषद की बैठक साधारणतया दिल्ली या ऐसे किसी अन्य स्थानों पर और ऐसे तिथि तथा समय पर होगी जैसा कि परिषद द्वारा निर्धारित किया जाए :

इसमें यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष किसी भी समय 15 दिनों की सूचना पर विशेष बैठक बुला सकता है।

(2) किसी ऐसे मामले के संबंध में जहां पर परिषद का ध्यान दिलाना आवश्यक हो,

(3) विनियम 8 की धारा (1) के उप-अनुच्छेद (ब) के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट किसी उद्देश्य के लिए तथा

(3) परिषद के कुल सदस्यों में से कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यर्पणा की जाने पर किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो परिषद के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत हो किन्तु खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट न हो।

(2) किसी वित्तीय वर्ष में किया गया परिषद का प्रथम अधिवेशन उस वर्ष के लिए परिषद का वार्षिक अधिवेशन होगा।

5. विनियम 4(1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अधिवेशनों में केवल उसी विषय या विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा जिस पर विचार करने के लिए अधिवेशन बुलाया गया है।

अधिवेशनों की सूचना

6. (1) विनियम 4(1) के परन्तुक के अधीन या विनियम 8(1) (ब) के प्रथम परन्तुक के अधीन बुलाए गए विशेष अधिवेशन से भिन्न प्रत्येक अधिवेशन की सूचना, सचिव द्वारा परिषद के प्रत्येक सदस्य को अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीस दिन पहले भेजी जाएगी।

(2) परिषद के प्रत्येक अधिवेशन की सूचना डाक में डाले जाने के प्रमाण-पत्र के अधीन भेजी जाएगी, किन्तु किसी सूचना के प्राप्त न होने से किसी अधिवेशन की कार्यवाही अवैध या शून्य नहीं होगी।

कार्यसूची के कागज-पत्र

7. (1) सचिव अधिवेशन की सूचना के साथ प्रारम्भिक कार्यसूची के कागजपत्र भेजेगा जिसमें अधिवेशन में किया जाने वाले कार्य और उन सभी प्रस्तावों की विषय वस्तु जिनको प्रस्तुत करने की सूचना विहित रूप में उसके पास पहले पहुंच चुकी है तथा प्रस्तावकों के नाम दर्शित किए जाएंगे।

(2) यदि कोई सदस्य ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करना चाहता है जो प्रारम्भिक कार्यसूची के कागज पत्र में सम्मिलित नहीं है या ऐसे कागजपत्र में किसी मद में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव करना चाहता है तो वह सचिव को उसकी सूचना अधिवेशन से लिए नियत तारीख से कम से कम पूरे 15 दिन पहले देगा।

(3) सचिव अधिवेशन के लिये नियत तारीख से कम से कम पूरे 15 दिन पहले और विशेष अधिवेशन की दशा में अधिवेशन की सूचना के साथ पूर्ण कार्यसूची के कागज पत्र जारी करेगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिवेशन में क्या काम-काज किया जाएगा।

(4) यदि कोई सदस्य पूर्ण कार्यसूची के कागजपत्र में सम्मिलित किसी ऐसी मद में संशोधन पेश करना चाहता है जो प्रारम्भिक कार्य सूची के कागज पत्र में सम्मिलित नहीं है तो उसकी सूचना सचिव को अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कम से कम पूरे 7 दिन पहले देगा।

(5) यदि सचिव किसी को प्रस्तुत इन सभी संशोधनों की सूची जिनकी सूचना खण्ड (5) के अधीन दी गई है, प्रत्येक सदस्य को उसके उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा।

परन्तु यह और कि इस विनियम की कोई बात, विशेष परिस्थितियों में कार्यकारिणी समिति द्वारा किसी विशेष का निर्देश करना है। परिषद के समक्ष उसके किसी ऐसे अधिवेशन में करने पर रोक नहीं लगाती है जो इस विनियम के अधीन अपेक्षित सूचना को अनुमति देने के लिए कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन के पश्चात तुरन्त या अतिशीघ्र हो।

प्रस्ताव की ग्राह्यता

8. (1) अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को निम्नलिखित परिस्थितियों में नामंजूर करेगा :

(क) यदि प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में है के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है

(ख) यदि प्रस्ताव में सार रूप से उसी प्रश्न को प्रस्ताव या संशोधन के रूप में बैठक वाले दिवस से एक वर्ष के भीतर उठाया गया है जो कि परिषद की सलाह से पेश किया जा चुका है या वापस ले लिया गया है :

परन्तु ऐसे प्रस्ताव को परिषद के ऐसे विशेष अधिवेशन में ग्रहण किया जा सकता है जो परिषद के सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्यों की अभ्यर्पणा पर इस प्रयोजन के लिए बुलाया गया हो,

परन्तु यह और कि इस विनियमों की कोई बात किसी ऐसे विषय पर आगे विचार विमर्श किए जाने को प्रतिषिद्ध नहीं करती है जिसे परिषद की केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम के अधीन अपने किसी कृत्य का प्रयोग करते हुए निर्देश किया है।

(ग) जब तक कि प्रस्ताव में पर्याप्त रूप से कोई ठोस मामला न उठाया गया हो।

(घ) यदि प्रस्ताव में तर्क, शिष्टाचार असंगतियां, लांछन या मानहानिकारक कथन हों।

परन्तु यदि संशोधन से प्रस्ताव ग्राह्य हो जाता है तो अध्यक्ष उस प्रस्ताव को नामंजूर करने की बजाए उसे संशोधित रूप में ग्रहण कर सकता है।

(2) यदि अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को नामंजूर या संशोधित कर देता है तो सचिव उस सदस्य को, जिसने प्रस्ताव की सूचना दी थी, यथास्थिति, उस प्रस्ताव की नामंजूरी के आदेश की या जिस संशोधित रूप में वह प्रस्ताव ग्रहण किया गया है उस रूप की, जानकारी देगा।

भाग-2

परिषद् के अधिवेशनों में कामकाज का संचालन

8. (1) परिषद् के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेगा या यदि वह अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करेगा या यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हैं तो उपस्थित सदस्यों द्वारा अपनों में से निर्वाचित सदस्य करेगा।

(2) इस भाग में अध्यक्ष के प्रति किए गए सभी निर्देश, उस व्यक्ति के प्रति समझे जाएंगे जो उस समय अधिवेशन की अध्यक्षता करता है।

10. परिषद् की बैठक में आवश्यक कामकाज के संचालन के लिए कोरम सौ सदस्यों का होगा। यदि अधिवेशन के लिए नियत समय पर गणपूर्ति नहीं होती है तो अधिवेशन तब तक प्रारम्भ नहीं होगा जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती और यदि इस अधिवेशन के लिए नियत समय से तीस मिनट समाप्त होने पर भी किसी अधिवेशन के दौरान गणपूर्ति नहीं होती तो अधिवेशन भविष्य में ऐसे समय और तारीख के लिए स्थगित हो जाएगा जो अध्यक्ष नियत करे।

11. (1) परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले प्रत्येक विषय का अवधारण, किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने और उसे अध्यक्ष द्वारा परिषद् के समक्ष रखे जाने पर, उपस्थित सदस्यों की बहुमति से निर्णय होगा।

(2) मत हाथ उठाकर या विभाजन द्वारा या मतपत्र (बैलट) द्वारा, जैसा भी अध्यक्ष निर्देश करे, लिए जाएंगे :

परन्तु मतपत्र (बैलट) द्वारा मत तभी लिए जाएंगे जब तीन सदस्य ऐसा करने की वांछा करें और उसकी मांग करें :

परन्तु यह और कि यदि मतदान हाथ उठाकर किया जाता है तो विभाजन उसी दशा में किया जाएगा जब कम से कम एक सदस्य उसकी मांग करे।

(3) अध्यक्ष विभाजन द्वारा मत लेने की पद्धति अवधारित करेगा।

(4) अध्यक्ष मतदान के परिणाम की घोषणा करेगा और वह अंतिम होगा।

(5) मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

12. जब एक ही तात्पर्य के समान प्रस्ताव दो या दो से अधिक सदस्यों के नाम से हो तब अध्यक्ष यह विनिश्चय करेगा कि किसका प्रस्ताव पेश किया जाएगा और तत्पश्चात् अन्य प्रस्ताव या प्रस्तावों को वापस ले लिया गया समझा जाएगा।

13. (1) प्रत्येक प्रस्ताव या संशोधन का अनुमोदन आवश्यक है और यदि उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है तो वह वापस ले लिया गया समझा जाएगा।

(2) जब प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया जाता है तो उसका कथन अध्यक्ष करेगा।

(3) जब प्रस्ताव का इस प्रकार से कथन कर दिया जाता है तो तब उस पर इस प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए विचार-विमर्श किया जा सकता है कि उसे स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए अथवा कोई सदस्य उस प्रस्ताव में, विनियम 14 और 15 के अधीन, संशोधन पेश कर सकता है :

परन्तु अध्यक्ष किसी ऐसे संशोधन को पेश करने की अनुज्ञा नहीं देगा जो मूल प्रस्ताव होने की दशा में, विनियम 3 के अधीन अग्राह्य होता।

14. (1) किसी प्रस्ताव में संशोधन ऐसे प्रस्ताव से सुसंगत और उसके परिषद् के कृत्यों से संबंधित होना चाहिए।

(2) ऐसा संशोधन, पेश नहीं किया जा सकता जिसका प्रभाव केवल नकारात्मक मत (वोट) प्राप्त करना हो।

(3) अध्यक्ष ऐसे किसी संशोधन को, जो उसकी राय में तुच्छ है, परिषद के समक्ष रखने से इंकार कर सकता है।

15. किसी प्रस्ताव का संशोधन निम्नलिखित रूप ले किया जा सकता है :-

(क) प्रस्ताव में कोई शब्द या शब्दों को निकालकर, अन्तःस्थापित कर या जोड़कर,

(ख) मूल शब्दों के स्थान पर किन्हीं अन्य शब्दों को रखकर।

16. जिस समय किसी प्रस्ताव या संशोधन पर विचार-विमर्श हो रहा हो उस समय उसके सम्बन्ध में किसी भी ऐसे संशोधन के प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया जाएगा जो निम्नलिखित से भिन्न हो :—

(क) यथास्थिति, किसी प्रस्ताव या संशोधन का ऐसा संशोधन जैसा कि विनियम 13 में प्रस्तावित है,

(ख) किसी प्रस्ताव या संशोधन पर विचार-विमर्श को किसी विनिर्दिष्ट तारीख और समय या अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव,

(ग) विचार-विमर्श समाप्त करने के लिए प्रस्ताव अर्थात् यह, प्रस्ताव कि अब प्रश्न पर मतदान कराया जाए,

(घ) यह प्रस्ताव कि परिषद् जिस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर रही है उस पर विचार करने की बजाए कार्यक्रम की अगली मद पर विचार किया जाए,

परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव या संशोधन पेश नहीं किया जाएगा जिससे हो रहे किसी भाषण में बाधा पड़े।

परन्तु यह और कि कोई ऐसा सदस्य, जो प्रश्न के बारे में अधिवेशन के समक्ष पहले ही बोल चुका हो, उपर्युक्त खण्ड (ख), (घ) में निर्दिष्ट स्वरूप का कोई प्रस्ताव पेश नहीं करेगा।

परन्तु यह भी कि खण्ड (ग) और (घ) में निर्दिष्ट प्रस्ताव बिना भाषण के पेश किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष को यह विवेकाधिकार होगा कि वह उपनियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट स्वरूप का प्रस्ताव परिषद के समक्ष रखे या रखने से इंकार करे।

(3) यदि अध्यक्ष की यह राय है कि विचार-विमर्श समाप्त करने का प्रस्ताव उचित विचार-विमर्श करने के अधिकार का दुरुपयोग नहीं है तो वह तत्काल यह प्रस्ताव कि अब प्रश्न पर मतदान कराया जाये और यदि उसका यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जिस प्रस्ताव या संशोधन पर विचार-विमर्श हो रहा है वह तत्काल रखा जाएगा,

परन्तु अध्यक्ष विचार-विमर्श किए जा रहे मूल प्रस्ताव को रखने से पहले उसके प्रस्तावक को उत्तर देने के उसके अधिकार का प्रयोग करने की अनुज्ञा दे सकता है।

17. ऐसा कोई प्रस्ताव या संशोधन, जो पेश और अनुमोदित किया गया है, परिषद् की इजाजत के बिना वापस नहीं लिया जाएगा किन्तु यदि कोई सदस्य यह इजाजत देने में विरोधाभास प्रकट करता है तो इजाजत दी गई नहीं समझी जाएगी।

18. यदि प्रस्ताव पेश और अनुमोदित कर दिया जाता है तो प्रस्तावक और अनुमोदक में भिन्न सदस्य प्रस्ताव के बारे में उस क्रम के अनुसार बोल सकते हैं जैसा अध्यक्ष निदेश करे :

परन्तु प्रस्ताव या संशोधन का अनुमोदक, अध्यक्ष की अनुज्ञप्ति से, पहले भाषण को यथास्थिति प्रस्ताव या संशोधन का केवल अनुमोदन करने के लिए सीमित रख सकता है और विचार-विमर्श के किसी पश्चात्वर्ती क्रम पर उसके बारे में बोल सकता है।

19. अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष किसी भी समय विचार-विमर्श में सदस्यों को सहायतार्थ किसी पद की व्याख्या करने के लिए कोई आपत्ति कर सकता है। या कोई सुझाव जारी या जानकारी दे सकता है।

20(1) मूल प्रस्ताव के प्रस्तावक को और यदि अध्यक्ष किसी संशोधन के प्रस्तावक को अनुमति दे दी है तो उसे, अन्तिम उत्तर देने का अधिकार प्राप्त होगा, कोई भी अन्य सदस्य किसी विचार-विमर्श में किसी स्पष्टीकरण देने या उस समय परिषद् को सम्बोधित करने वाले सदस्य से प्रश्न पूछने के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष की अनुमति से ही एक से अधिक बार बोलेगा, अन्यथा नहीं,

परन्तु कोई सदस्य विचार-विमर्श के किसी प्रश्न पर कोई आपत्ति उठा सकता है किन्तु उसे मुद्दे पर कोई भाषण करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी,

परन्तु यह और कि कोई ऐसा सदस्य, जो प्रस्ताव के बारे में बोल चुका है, उस प्रस्ताव में पेश किए गए संशोधन के बारे फिर से बोल सकता है।

(2) कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति के सिवाय पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा,

परन्तु प्रस्ताव पेश करने वाला प्रस्तावक अपना प्रस्ताव पेश करते समय दस मिनट तक बोल सकता है,

(3) जिस प्रस्ताव या संशोधन पर भाषण किया जाता है वह निश्चय ही उसके विषय वस्तु तक सीमित रहेगा।

(4) यदि सदस्य, जिसके नाम से कोई प्रस्ताव या संशोधन पेश किया जाने वाला है, अधिवेशन में अनुपस्थित है या उसे पेश करने का हकदार नहीं है तो कोई दूसरा सदस्य भी अनुमति से उसे पेश करता है।

21(1) कोई सदस्य, जो परिषद् के समक्ष किसी विषय के बारे में कोई टीका टिप्पणी करना चाहता है, अपने स्थान से उठेगा और अध्यक्ष को सम्बोधित करेगा।

(2) यदि अध्यक्ष किसी समय खड़ा हो जाता है तो जो सदस्य उस समय बोल रहा है उसको अपने स्थान पर बैठ जाएगा।

22. सदस्य को परिषद् के समक्ष कामकाज के बारे में ही टेक में खड़ा जाएगा अन्यथा नहीं।

23(1) जब किसी प्रस्ताव में संशोधन पेश और अनुमोदित किया जाता है या जब इस प्रकार के दो या दो से अधिक संशोधन पेश और अनुमोदित किए जाते हैं तब अध्यक्ष उनके बारे में परिषद् को मत देने से पहले परिषद् के समक्ष मूल प्रस्ताव और प्रस्तावित संशोधन और या संशोधनों का कथन करेगा या उन्हें पढ़कर सुनाएगा।

(2) प्रस्ताव के संशोधन पर पहले मतदान कराया जाएगा।

(3) यदि प्रस्ताव में एक या एक से अधिक संशोधन पेश किए गए हैं तो अध्यक्ष यह विनिश्चय करेगा कि किस क्रम से उन पर विचार किया जाए।

24. जब किसी ऐसे प्रस्ताव पर जिसमें अनेक मुद्दे हैं, विचार किया जा चुका है तब अध्यक्ष को यह विवेकाधिकार होगा कि वह प्रस्ताव को विभाजित करे और प्रत्येक या किसी मुद्दे या मुद्दों का मतदान के लिए अलग-अलग रूप में रखे जैसा कि वह ठीक समझे।

25(1) यदि अध्यक्ष सत्यावेदकताओं के कारण आवश्यक समझता है तो वह किसी समय किसी अधिवेशन को भविष्य में किसी दिन के लिए या जिस दिन अधिवेशन होने वाला है उसी दिन किसी अन्य समय के लिए स्थगित कर सकता है और उसके लिए कारणों का कथन कर सकता है।

(2) जब कभी कोई अधिवेशन भविष्य में किसी दिन के लिए स्थगित किया जाता है तब, सचिव उसके स्थगन की सूचना, ऐसे प्रत्येक सदस्य को भेजेगा जो ऐसे अधिवेशन में उपस्थित नहीं था।

(3) जब अधिवेशन भविष्य में किसी दिन के लिए स्थगित हो गया है तब अध्यक्ष विदेश करने वाले कारणों से ऐसे अधिवेशन का दिन पुनः परिवर्तित कर सकता है और सचिव प्रत्येक सदस्य को ऐसे परिवर्तन की लिखित सूचना भेजेगा।

(4) भविष्य में किसी दिन के लिए स्थगित अधिवेशन में किसी ऐसे प्रस्तावकों, जो विचार किए जाने के लिए पूर्ववर्ती दिन से लम्बित है कार्यक्रम के अन्य विषयों पर प्राथमिकता तो आएगी किन्तु तब नहीं जब कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश दे।

(5) अध्यक्ष का कोई सदस्य या तो अधिवेशन प्रारम्भ होने के पूर्वतय या अधिवेशन के दौरान किसी विशेष मद पर विचार-विमर्श समाप्त हो जाने के पश्चात्, कामकाज के कार्यक्रम में किसी परिवर्तन का सुझाव दे सकता है और यदि परिषद् इससे सहमत होती है तो ऐसा परिवर्तन कर दिया जाएगा।

(6) स्थगित अधिवेशन में किसी ऐसे विषय पर विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा जो मूल अधिवेशन के कार्यक्रम में नहीं था।

(7) स्थगित अधिवेशन के लिए वही गणपूर्ति आवश्यक होगी जो अधिवेशन के लिए आवश्यक है।

26(1) अध्यक्ष आपत्ति के उन सभी मुद्दों के बारे में विनिश्चय करेगा जो उठाए जाएं और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) यदि कोई प्रश्न किसी ऐसे विषय में संबंधित प्रक्रिया के बारे में उठता है जिसके लिए विनियमों में कोई उपबन्ध नहीं है तो अध्यक्ष उसका विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) अध्यक्ष किसी ऐसे कामकाज के बारे में, जिस पर विचार और विनिश्चय करना, परिषद् या कार्यकारिणी समिति के लिए, आवश्यक हो, यह निदेश देगा कि वह कामकाज परिषद् या कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के बीच परिपत्र परिचालित करके यथास्थिति अनुसार किया जाएगा।

परन्तु यदि, यथास्थिति, परिषद् के दस सदस्य या कार्यकारिणी समिति के तीन सदस्य यह चाहते हैं कि किसी विशेष विषय या विनिश्चय परिचालन की बजाए अधिवेशन में किया जाए तो वह विषय परिषद् या कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन में रखा जाएगा।

(4) यदि कोई संकल्प या रिपोर्ट उपयुक्त रूप में परिचालित की जाती और उस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्यों ने उसे अनुमोदित कर दिया है तो वह उसी प्रकार प्रभावकर होगा जिस प्रकार कि परिषद् या कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन में पारित किया गया कोई संकल्प होता है।

27. अध्यक्ष के विवेकानुसार प्रेस के चार प्रतिनिधियों को और अन्य निमंत्रितों को जो किसी एक समय पर चार से अधिक न हों, सचिव से प्राप्त अनुज्ञापत्र (पास्मिट) प्रस्तुत करने पर अधिवेशन में प्रवेश करने दिया जा सकता है। प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे कार्यवाहियों की अपनी रिपोर्ट के प्रकाशन के बारे में सचिव का पुनर्निदेश प्राप्त करें। अध्यक्ष किसी भी समय बन्द कमरे में अधिवेशन कर सकता है और ऐसी दशा में सभी निमन्त्रितों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे चले जाएं।

भाग—3

परिषद् का कार्यवृत्त

28. परिषद् की बैठक की कार्यवाही मुद्रित कार्यवृत्त के रूप में रखी जाएगी, जिसकी पुष्टि करने के बाद अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएगी।

29. प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की प्रति बैठक के दस दिनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी तथा वह उनके द्वारा सत्यापित की जाएगी तथा बैठक के तीस दिन के भीतर प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी।

30. प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त में इस प्रकार प्रस्ताव और संशोधन होंगे जो प्रस्तावक और समर्थक के नाम के साथ प्रस्तावित और अपनाए गए या नकारे गए होंगे, किन्तु बैठक में किसी सदस्य द्वारा की गई टिप्पणी या प्रेषण का रिकार्ड नहीं होगा।

31. यदि सचिव द्वारा कार्यवृत्त भेजने के 30 दिन के भीतर कार्यवृत्त की शुद्धता के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो ऐसी आपत्ति को मूल रिकार्ड किए गए तथा प्रमाणित किए गए कार्यवृत्त के साथ पुष्टि के लिए परिषद् की अगली बैठक के रिकार्ड की शुद्धता के अलावा कोई और प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे।

बशर्ते कि यदि उस विशेष बैठक के कार्यवृत्त के सचिव द्वारा भेजने के तीस दिन के भीतर बैठक में परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे निर्णय यदि आवश्यक हों, दूसरी बैठक में कार्यवृत्त की पुष्टि के पहले लागू की जा सकती है।

आगे यह भी प्रावधान है कि अध्यक्ष यह निदेश दे सकते हैं कि उपर्युक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पहले परिषद् के निर्णय पर कार्रवाई की जाए।

32. परिषद् के कार्यवृत्त की पुष्टि के बाद यथाशीघ्र व्यवहार्य हो, शीट में तैयार किया जाए तथा खंड में लगाने के लिए उस पर पृष्ठ सं. दिया जाएगा, जिसे स्थायी तौर पर रखा जाएगा। इस खंड की एक प्रति परिषद् के प्रत्येक सदस्य को निशुल्क भेजी जाएगी, और ऐसी प्रतियां परिषद् द्वारा निर्धारित मूल्य पर जनता को बेची जाएं।

33. परिषद् के सदस्यों के विचार के लिए ठीक ढंग से, जहां तक सम्भव हो सके, परिषद् की बैठकों में किए प्रेक्षणों तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट रखी जाएगी।

बैठक की विस्तृत कार्यवाही, जिसे "गोपनीय" माना जाएगा, कार्यालय में रखी जाएगी तथा सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। कार्यवाही की पूरी प्रतियां प्रति किसी भी सदस्य को, जो आवेदन करता है, दी जाएगी। ऐसी प्रति गोपनीय होगी तथा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर दी जाएगी तथा ऐसा शुल्क नकल करने की लागत से अधिक नहीं होगा। कैमरा में रखी गई कार्यवाही की प्रति नहीं दी जाएगी, परन्तु ऐसी प्रति का सदस्यों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

भाग—4

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य

34(1) अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो अधिनियम के उपबन्धों, विनियमों तथा परिषद् के स्थायी आदेशों में निहित हैं। वह ऐसे कार्य करेगा जो वह उद्देश्यों, जिसके लिए परिषद् की स्थापना की गई है, को आगे रखने के लिए आवश्यक समझे।

(2) तात्कालिकता के मामले में, अध्यक्ष आवश्यक कार्रवाई कर सकता है तथा शक्ति की सूचना कार्यकारी समिति को दे सकता है और परिषद् द्वारा, बशर्ते कि कोशिश मामले, जिसमें मंजूर किए गए बजट से 10,000 रुपये से अधिक का व्यय शामिल है, अनुमोदन की अवस्था में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

35. यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से शक्तियों का प्रयोग करने में या पद के कर्तव्यों के निष्पादन में असमर्थ है, तो उपाध्यक्ष उसके स्थान पर काम करेगा तथा अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निष्पादन करेगा।

भाग—5

पदत्याग तथा आकस्मिक रिक्तियों को भरना

36. कोई सदस्य जो परिषद् की सीट से त्यागपत्र देना चाहता है, अपना त्यागपत्र लिखित में अध्यक्ष को देगा तथा उसका त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत करने की तिथि से या प्राप्त होने के 90 दिन की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, संबंधित सदस्य से पुष्टि के बाद प्रभावी होगा।

37. जब किसी सदस्य की मृत्यु या सदस्यता की समाप्ति, त्यागपत्र के कारण आकस्मिक रिक्त होती है, अध्यक्ष केन्द्र सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए तत्काल रिपोर्ट देगा जैसा कि अधिनियम की धारा 6में दिया है।

भाग—6

कार्यकारी समिति-कार्य, बैठक आदि

38. कार्यकारी समिति के सभी सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव सहित होंगे जो कि क्रमानुसार परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव भी होंगे।

39. कार्यकारी समिति की बैठक सामान्यतया परिषद् की बैठक के लिए लागू उपनियमों से अधिशासित होगी।

40. यदि कार्यकारी समिति के लिए नियत समय पर कोरम पूरा नहीं होता, बैठक तब तक शुरू नहीं होगी, जब तक कि कोरम पूरा न हो और यदि किसी बैठक के लिए नियत समय से एक घंटे की समाप्ति तक तथा किसी बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं होता, तो बैठक उस आगामी तारीख और समय तक स्थगित मानी जाएगी, जब तक अध्यक्ष कोरम पूरा करने के लिए कार्यकारी समिति के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य को नियुक्ति नहीं करता।

41. अध्यक्ष जब उपस्थित होंगे कार्य समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हों तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक उपस्थित सदस्य को इस बैठक की अध्यक्षता के लिए चुनेंगे।

42. जब कोरम के अभाव में कार्यकारी समिति की बैठक स्थगित कर दी जाती है स्थगित बैठक के लिए किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

43. (1) कार्यकारी समिति के निर्वाचित सदस्य को पदावधि उसके निर्वाचित होने की तारीख से 2-1/2 वर्ष या कार्यकारी समिति के चुनाव के अगली कार्यकारी समिति पदग्रहण करने तक, जो भी बाद में हो, तक की होगी।

इसमें किसी अन्य बात के होते हुए भी परिषद् को समाप्त करने के कारण पर ध्यान दिए बिना, परिषद् जो समिति निर्वाचित करता है, को समाप्ति के साथ ही कार्यकारी समिति काम करना बन्द कर देगी।

(2) कार्यकारी समिति के सदस्य पुनः निर्वाचित होने के पात्र होंगे।

44. कार्यकारी समिति ऐसे परिषद् के ऐसे सदस्य, जो कार्यकारी समिति के सदस्य नहीं है, बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है। इस तरह से आमंत्रित सदस्य कार्यकारी समिति की चर्चा में भाग लेने के लिए सक्षम होगा किन्तु उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

45. परिषद् की बैठक से एक सप्ताह पहले कार्यकारी समिति मुख्यतः उसी स्थान पर मुख्य होगी जहां परिषद् की बैठक होती है। कार्यकारी समिति की अन्य बैठक उसी समय और स्थान पर हो सकती है जो अध्यक्ष निर्धारित करे। कार्यकारी समिति की ऐसी बैठक की सूचना और कार्यसूची सामान्यतया बैठक के क्रम से कम आठ दिन पहले दी जाए।

46. कार्यकारी समिति निरीक्षक/दौरा करने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अध्ययन पाठ्यक्रम, अध्ययन और परीक्षा की सूचिकाओं पर विचार करेगी तथा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उस पर रिपोर्ट तैयार करेगी।

47. कार्यकारी समिति परिषद् के निर्णयों के कार्यान्वयन में परिषद् की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा उसके पास अन्य समितियों के दायरे में आने वाली शक्तियों को छोड़कर सभी मामलों में परिषद् की ओर से निर्णय लेने की शक्ति होगी। यह परिषद् के प्रशासनिक प्रकार के सभी कार्यों का निष्पादन करेगी।

बशर्ते कि यह नीति परिषद् के मंजूर किए गए बजट आवंटन से 25000/- रु. प्रति वर्ष से अधिक के व्यय वाले मामले में लागू नहीं होगा जबकि प्रशासनिक दृष्टि से होगें।

48. कार्यकारी समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की प्रति बैठक के पन्द्रह दिन के भीतर अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी तथा उनके द्वारा अभिप्रमाणित किए जाने के बाद बैठक के 30 दिन के भीतर कार्यकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी।

यदि उसके प्रेषण के 15 दिन के भीतर उसकी शुद्धता के बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी, तो उसमें लिखा गया निर्णय लागू किया जाएगा। कार्यकारी समिति द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद कार्यवृत्त परिषद् के सदस्यों के पास भेजे जाएंगे।

बशर्ते कि अध्यक्ष यह निदेश दे सकता है कि उक्त विनिर्दिष्टों पर जो तात्कालिक आवश्यकता के हों पर 15 दिन की अवधि की समाप्ति के पहले कार्यकारी समिति के निर्णय पर कार्रवाई की जाएगी।

भाग 7

समितियां

49. (1) परिषद् किसी भी समय इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर निम्नलिखित में से किसी एक या सभी समितियों का गठन कर सकती है :

(क) शिक्षा समिति
(ख) विनियम समिति
(ग) वित्त समिति
(घ) रजिस्ट्रेशन समिति
(ङ) सम्पर्क समिति

(2) प्रत्येक समिति की शक्तियां एवं कार्य तथा इसके सदस्यों की संख्या समिति के गठन के समय पर निर्धारित किए जाएंगे और जब तक कि परिषद् अन्यथा विनिर्दिष्ट न करें, प्रत्येक समिति के पास निर्णय लेने के लिए, इसे सुपुर्द कार्य के क्षेत्र के तहत पूर्ण शक्तियां होंगी।

बशर्ते कि निम्नलिखित मामले में इसके निर्णय परिषद् के समक्षित के अधीन होंगे :—

(i) जहां कोई नीतिगत मामला शामिल हो।
(ii) जहां समिति के निर्णय में मंजूर किए गए बजट से 1,000 रुपये से अधिक किसी मद पर व्यय शामिल हो; और
(iii) जहां अधिनियम के उपबंधों, परिषद् के विनियम तथा स्थायी आदेशों के अनुसार परिषद् के अनुमोदन आवश्यक हों।

(3) प्रत्येक इस सम्बन्धमें ये सदस्यों का चुनाव समिति के सदस्य सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

(4) यदि समिति के गठन के लिए कोई प्रस्ताव अपनाया जाता है तो तात्कालिक समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नामों का प्रस्ताव करेगा और इसके बाद कोई भी सदस्य अन्य व्यक्तियों के नामों को शामिल करने के संबंध में संशोधन प्रस्ताव रख सकता है।

(5) यदि समिति के सदस्यों के रूप में प्रस्तावित किये सदस्यों की संख्या समिति के गठन के लिये अपेक्षित सदस्यों की कुल संख्या से अधिक बढ़ी होती है तो इस प्रकार प्रस्तावित किये गये सदस्य समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किये जायेंगे। यदि इस प्रकार प्रस्तावित किये गये सदस्यों की संख्या समिति के गठन के लिये अपेक्षित सदस्यों की कुल संख्या से अधिक होती है तो मतदान लिया जायेगा और अपेक्षित संख्या में उन सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी जिन्हें सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे।

50. (1) परिषद्, किसी अन्य समिति की नियुक्त करने के अभिप्राय से किसी प्रस्ताव को पारित करके किसी भी समय कोई अन्य समिति नियुक्त कर सकती है।

(2) समिति की नियुक्ति के प्रस्ताव में समिति के कार्यों और शक्तियों और समिति के सदस्यों की संख्ा का उल्लेख होगा।

(3) कोई भी सदस्य दिया किसी पूर्व सूचना के किसी ऐसे प्रस्ताव में, जिसमें समिति के कार्यों और शक्तियों के अथवा समिति के सदस्यों को कम या ज्यादा करने की बात कही गयी हो, तो संशोधन करने का प्रस्ताव रख सकता है।

51. (1) भाग 1 में दिये गये अधिनियमों के अनुसार समिति की कार्रवाई चलाई जायगी बशर्ते कि इस प्रकार के अधिनियम अध्यक्ष के विवेकानुसार किसी भी समय शिथिलनीय हों।

(2) परिषद् द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव को सचिव अथवा अध्यक्ष द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट में अध्यक्ष के विवेकानुसार स्थान दिया जायगा और जब यह प्रस्ताव, असहमति के किसी भी नोट के साथ समिति के सदस्यों के हस्ताक्षरों से युक्त हो तो इसे परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायगा यह बात, पूर्व सूचना (नोटिस) के बारे में अधिनियमों के उपबंधों के अधीन होगी।

52. (1) प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या सात से अधिक नहीं होगी।

(2) परिषद् का कोई भी सदस्य दो से अधिक समितियों के लिये नहीं चुना जावेगा अथवा नियुक्त किया जायेगा।

(3) अध्यक्ष की सहमति से किसी भी समिति का अध्यक्ष परिषद् के किसी एक सदस्य को जो उस विशेष समिति का सदस्य न हो समिति की किसी बैठक में भाग लेने के लिये आमंत्रित कर सकता है। इस प्रकार आमंत्रित किया गया व्यक्ति समिति के विचार-विमर्श में भाग ले सकता है लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

बशर्ते कि जहां विशेष ज्ञान-अपेक्षा आवश्यक नहीं है वहां अध्यक्ष की सहमति से समिति का अध्यक्ष कितनी भी संख्या में सदस्यों को आमंत्रित कर सकता है लेकिन इस प्रकार से आमंत्रित किये गये सदस्य समिति के विचार-विमर्शों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

भाग 8

परिषद् के सचिव और अन्य प्राधिकारियों तथा कर्मचारियों की कार्यालय अवधि तथा शक्तियां और कर्तव्य

53. सचिव की पदावधि नियुक्ति के समय परिषद् द्वारा निर्धारित की जायेगी। 58 वर्ष की आयु होने पर वह सेवा निवृत्त हो जायेगा, बशर्ते कि परिषद् द्वारा उसके लिए कोई अन्य सेवा निवृत्त की आयु निर्धारित न की गयी हो।

उसकी 58 वर्ष की आयु होने पर उसके सेवाकाल में वृद्धि की जा सकती है बशर्ते इस प्रकार की वृद्धि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

54. (1) सचिव, परिषद् का कार्यकारी अधिकारी होगा।

(2) वह उस प्रकार के कार्य करेगा जो उसे अधिनियम और विनियमों द्वारा सौंपे गये हों। वह अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों को भी करेगा। वह परिषद् की समाप्ति की सूचना, कार्यालय के नियंत्रण और पद और लेखों और पद-व्यवहार संबंधी कार्यों के लिये भी उत्तरदायी होगा।

वह इस बात का भी ध्यान रखेगा कि कार्यालय के कर्मचारी समय से कार्यालय पहुंचें और अपना कार्य करें। वह सामान्यतया उन सभी बैठकों को बुलाएगा जो परिषद् अधिनियम के उद्देश्यों के लिये उसके अपेक्षा करती हो। वह परिषद् कार्यकारी समिति और अन्य समितियों की बैठकों में साथ लेखा और बैठकों की कार्यवाही को लिपिगत करेगा।

55. सचिव, परिषद् के किसी सदस्य को पदत्यागपत्र प्रस्तुत होने के 90 दिन से पहले ही इस कारण रिक्त होने वाले पद के बारे में अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करेगा और अध्यक्ष तत्काल केन्द्रीय सरकार को इस बात की सूचना देगा ताकि पद के रिक्त होने की तारीख से पद को भरने के लिये किसी नये सदस्य को नामांकित किया जा सके अथवा चुना जा सके।

अस्थायी

56. अनुसूचितीय और वर्ग "ब" के कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर सेवा से निवृत्त हो जायेंगे।

परिषद्, अपने विवेकानुसार अनुसूचितीय अथवा निचले वर्ग के किसी भी कर्मचारी की अवधि बढ़ा सकती है लेकिन यह बढ़ोतरी 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

57. कर्मचारियों के वे कर्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे जो परिषद् के उद्देश्यों के लिये बनाये गये स्थायी आदेशों में समय-समय पर तैयार किये गये हों।

58. कार्यकारी समिति की मंजूरी की पूर्ति के अधीन सचिव विभिन्न और वर्ग "ब" स्टाफ की नियुक्ति करेगा और इस प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, जिनकी समय-समय पर आवश्यकता हो और इस प्रकार नियुक्त किये गये अस्थायी कर्मचारियों को उचित दर पर पारिश्रमिक देगा, बशर्ते कि यह पारिश्रमिक दर केन्द्रीय सरकार द्वारा इसी प्रकार के कार्यों को करने के लिये नियुक्त किये गये स्थायी स्टाफ के लिये स्वीकृत की गयी दर से अधिक न हो। ये नियुक्तियां, परिषद् इस प्रकार की नियुक्तियों को मंजूर किये जाने की शर्तें तय करेगी।

भाग 9

संपत्ति का प्रबंध वित्त और लेखा

59. परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए कार्यकारी समिति को परिषद् की संपत्ति की ओर ऐसे सभी कार्य और कृत्य जो परिषद् के प्रयोजन के आनुषंगिक समझे जाते हों और उसमें से धन व्यय करने की पूर्ण शक्ति और प्राधिकरण होगा और विशिष्ट रूप से इस उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्यकारी समिति को यह शक्ति होगी कि वह

(क) परिषद् की संपत्ति की देख-भाल करें और प्रबंध का पर्यवेक्षण करें तथा इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित धन व्यय करें;

(ख) सभी दरें सड़कों, कर्रों, बैंकों या अन्य देय रकमों को मुक्त करें;

(ग) दान, क्रय, विनिमय, पट्टे द्वारा दी गई संपत्ति प्राप्त करें तथा परिषद् की किसी भी भूमि, भवन और अन्य चल व अचल संपत्ति की बिक्री करें उसे बंधक रखें अथवा किसी अन्य प्रकार से निपटान करें।

(घ) भवन बनाएं, उसका निर्माण करें इसका रख-रखाव करें उसे गिराएं, उसमें परिवर्तन, विस्तार, सुधार करें उसकी मरम्मत करें; और

(ङ) अपनी कोई शक्ति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समिति के किसी प्राधिकारी या अधिकारी को प्रत्यायोजित करें।

परिषद् की किसी भी चल अथवा अचल संपत्ति के संबंध में की गयी किसी भी कार्रवाई के बारे में पूरी सूचना परिषद् को छमाही बैठक में प्रस्तुत करें।

खर्चों की धारा (घ) और (ङ) में उल्लिखित अचल सम्पत्ति जिसका मूल्य दो हजार रुपये से अधिक हो, को उसके विक्रय, बंधक या किसी भी अन्य प्रकार अन्तरण परिषद् की पूर्व संस्वीकृति के बिना, नहीं किया जायेगा।

60. परिषद् की, अपने व्ययों के लिए केन्द्रीय सरकार को पूर्व अनुमति से गैर-सरकारी व्यक्तियों और निकायों से दान और अंशदान प्राप्त करने के लिए और डिपोटों और अन्य प्रकाशनों की बिक्री से आय प्राप्त करने के लिए, प्राधिकृत किया जाता है।

61. स्टेट बैंक आफ इंडिया की स्थानीय शाखा परिषद् के लिए बैंकर का कार्य करेगी। परिषद् की सभी प्राप्तियां इस बैंक में परिषद् के खातों में जमा की जायेंगी और यह धनराशि, अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों वाले चैकों के माध्यम से निकाली जायेगी। बैंक बुक, सचिव की निगरानी में रहेगी।

62. परिषद् की प्राक्कलित, की जो मंजूरी आवश्यकताओं के अनुसार शेष बचती हो, सचिव की सिफारिशों के अनुसार और वित्त समिति की मंजूरी से निम्नलिखित तरीके से विनियोजित किया जा सकता है :—

(1) किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के बचतपत्रों, स्टाक और अन्य प्रतिभूतियों में;

(2) उन कंपनियों के स्टाक अथवा ऋण-पत्रों अथवा शेयरों में जिन्हें ब्याज के बारे में भारत सरकार द्वारा गारंटी दी जा रही हो; और

(3) अधिनियम की शक्तियों के तहत अथवा किसी निगम, निकाय, पोर्ट ट्रस्ट अथवा शहर सुधार न्यास की ओर से जारी किये गये ऋण-पत्रों अथवा ऋण को किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों में।

63. परिषद् की प्रतिभूतियों का निवेश परिषद् के नाम से किया जायेगा। प्रतिभूतियों की सुरक्षा करना सचिव का निजी दायित्व होगा और इनकी जांच, विनियम 71 के तहत बनाये गये प्रतिभूतियों के रजिस्टर की सहायता से 6 महीने में एक-बार की जायेगी और सचिव द्वारा रजिस्टर में जांच का एक प्रमाण-पत्र दर्ज किया जायेगा और इस पर अध्यक्ष के प्रति हस्ताक्षर होंगे।

64. वित्त समिति अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय का संशोधित प्राक्कलन तैयार करेगी और उसे कार्यकारी समिति की स्वीकृति के लिए उसकी इस प्रकार के अगले अधिवेशन में, प्रस्तुत करेगी जिसमें इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष नवंबर के प्रथम सप्ताह में किया जाने वाला है; मंजूर किए गए प्राक्कलन की एक प्रति परिषद् को और दूसरी प्रति लिपि सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जाएगी।

65. परिषद् को निधि का विनियोजन किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जाएगा जिसके लिए कि यथास्थितिनुसार, परिषद् अथवा कार्यकारी अथवा सचिव ने सम्यक् रूप से मंजूरी न दी हो।

66. "अधिकारियों का वेतन" स्थापना का वेतन, "भत्ते और मानदेय", "प्रासंगिक खर्चे" और अवकाश व पेंशन अथवा भविष्य निधि अंशदान, विनियोजनों के प्रायमिक एकक होंगे।

67. अध्यक्ष की कुल स्वीकृत अनुदानों के भीतर एक विनियोजन एकक से दूसरे विनियोजन एकक तक अनुदानों के पुनर्विनियोजन करने का अधिकार प्राप्त होगा। इस प्रकार के पुनर्विनियोजन मंजूर करने के आदेशों की प्रतियां, कार्यकारी परिषद् को भेजी जायेंगी।

68. सचिव को किसी अनौपचारिक और आकस्मिक प्रकृति के कार्यों के लिए प्रत्येक मामले में अधिक से अधिक 500 रुपये तक के व्यय को मंजूर करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(9) अधिक को 500 रुपये का स्थायी अग्रिम दिया जाना।

70. सचिव परिषद् के सदस्यों, निरीक्षकों, परिदर्शकों और अन्य कर्मचारियों को सत्ता, विशेष तथा अन्य भत्तों का प्रत्यायकर्ता अधिकारी होगा और सचिव को इन भत्तों के लिए अग्रिम प्रमाणकर्ता होगा।

71. परिषद् के द्वारा निम्नलिखित पंजिकाएं रखी जाएंगी :—

(1) रोकड़ बही

(2) वर्गीकृत खाता

(3) प्रतिभूति रजिस्टर

(4) माल और फर्नीचर का रजिस्टर

(5) चैक बुक स्टॉक रजिस्टर

(6) छुट्टी और पेंशन-अंशदान रजिस्टर

(7) स्थायी अग्रिम रजिस्टर

(8) वार्षिक लेखा

(9) कोई अन्य लेखा रजिस्टर

72. विनियमन के प्रारंभिक इकाईयों के अनुसार वर्गीकृत खाते के रूप में मासिक लेखे तैयार किया जायेगा। समुचित रोकड़ इकाईयां पर्यवेक्षक के विवेकानुसार खोली या बंदी और सचिव सभी लेखाओं को सम्यक रूप में तैयार करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

73(1) परिषद् के लेखों का, लेखा परीक्षा आदेश, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी। इस संबंध में जो खर्च उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि लेखा परीक्षा के संबंध में करेगा वो परिषद् द्वारा देय होगा।

(2) परिषद् के लेखाओं की परीक्षा के संबंध में भारत नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के तथा उसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति के, ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की परीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियों, लेखा, संबद्ध वाउचर तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों और कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने का अधिकार होगा।

(3) लेखा-परीक्षक परिषद् को लेखा-परीक्षा का परिणाम संसूचित करेगा और इस पर कार्यकारिणी समिति द्वारा विचार कर लिए जाने के पश्चात् लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट और परीक्षित लेखाओं का विवरण भारत सरकार के कृषि मंत्रालय पशुपालन एवम् डेयरी विभाग को भेजा जाएगा। उसी समय लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट परिषद् के सभी सदस्यों की जानकारी के लिए, उनके बीच, परिचालित की जाएगी।

परन्तु यदि परीक्षित लेखाओं के अभाव में सरकारी अनुदान का दिया जाना रुक जाता है तो सक्षम लेखा-परीक्षक से परीक्षित लेखा प्राप्त होने ही उन्हें तत्काल फैसेंद्र सरकार को भेजेगा।

[सं. 4-1/90-वीसी आई]

डॉ. (श्री.) रामाकुमार वी, सचिव

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 1991

G.S.R. 694(E).—In exercise of the powers conferred by section 66 of Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Veterinary Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Veterinary Council of India (General) Regulations, 1991.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984),

(b) 'Council' means the Veterinary Council of India constituted under the Act;

(c) 'Employees of the Council' means persons appointed under sub-section (1) of section 11 of the Act to carry out the purposes of the Act;

(d) 'Executive Committee' or 'Committee' means the Executive Committee or Committee constituted under sub-section (1) of section 12 of the Act;

(e) 'Group D staff' includes the Daftries, Jamadars, Peons, Chowkidars and Sweepers appointed under sub-section (1) of section 11 of the Act;

(f) 'Inspector' means a veterinary inspector appointed under sub-section (1) of section 19 of the Act;

(g) 'Member' means a member elected or nominated under section 5 of the Act;

(h) 'Ministerial Staff' means Superintendent, Head Clerk, Accountant, Accounts Assistant, Cashier, Receptionist, Computer Operator, Clerks, Stenographers Typists, Gestetner Operator, Staff Car Driver appointed under sub-section (1) of section 11 of the Act;

(i) 'President' means the President of the Veterinary Council of India elected under sub-section (4) of section 3 of the Act;

(j) 'Vice-President' means the Vice-President of the Council elected under sub-section (4) of section 3 of the Act;

(k) 'Secretary' means the Secretary of the Council appointed under sub-section (1) of section 11 of the Act;

(l) 'Visitor' means a visitor appointed under sub-section (1) of section 20 of the Act;

(m) Words and expressions used in these regulations and not separately defined shall have the same meaning as in the Act.

3. The Office of the Council shall be situated in Delhi|New Delhi.

Part I

Part I to Part IX

TIME, PLACE OF AND PREPARATION OF BUSINESS AT MEETINGS OF THE COUNCIL

4. (1) Meetings of the Council shall ordinarily be held at Delhi or at such other places and on such dates and time as may be specified by the Council :

Provided that the President may call a special meeting at any time on 15 days' notice:

(i) to deal with any urgent matter requiring the attention of the Council;

(ii) for a purpose specified in the proviso to sub-clause (b) of clause (1) of regulation 8; and

(iii) on a requisition signed by not less than fifty percent of the total members of the Council for a purpose which is within the scope of the Council's functions, not being a purpose specified in sub-clause (ii).

(2) The first meeting of the Council held in any financial year shall be the Annual Meeting of the Council for that year.

5. At meetings specified in the proviso to clause (1) of regulation 4, only the subject or subjects for the consideration of which the meeting has been called shall be discussed.

NOTICE OF MEETINGS

6. (1) Notice of every meeting other than a special meeting called under the proviso to clause (1) of regulation 4 or under the first proviso to sub-clause (b) of clause (1) of regulation 8 shall be despatched by the Secretary to each member of the Council not less than thirty days before the date of the meeting.

(2) Notice of every meeting of the Council shall be despatched under certificate of posting and non-receipt of any notice shall not however, invalidate the proceedings of any meeting.

AGENDA PAPERS

7. (1) The Secretary shall issue with the notice of the meeting a preliminary agenda paper specifying the business to be brought before the meeting, the terms of all motions to be moved of which notice in writing has previously reached him and the names of the movers.

(2) A member who wishes to move any motion not included in the preliminary agenda paper or an amendment to any item so included shall give notice thereof to the Secretary not less than fifteen clear days before the date fixed for the meeting.

(3) The Secretary shall, not less than fifteen clear days before the date fixed for the meeting and in the case of a special meeting with the notice of the meeting issue a complete agenda paper specifying business to be brought before the meeting.

(4) A member who wishes to move an amendment to any item included in the complete agenda paper, but not included in the preliminary agenda paper, shall give notice thereof to the Secretary not less than three clear days before the date fixed for the meeting.

(5) The Secretary shall, if time permits, cause a list of all amendments of which notice has been given under clause (4) to be made available for the use of every member :

Provided that nothing in this regulation shall prevent under special circumstances the reference by the Executive Committee of any matter to the Council at a meeting following immediately or soon after the meeting of the Executive Committee to permit the notice required under this regulation.

ADMISSION OF MOTION

8. (1) The President shall disallow any motion,—

(a) if the matter to which it relates is not within the scope of the Council's functions;

(b) if it raises substantially the same question as a motion or amendment which has been moved or withdrawn with the leave of the Council, within one year of the date of the meeting at which it is to be moved :

Provided that such a motion may be admitted at a special meeting of the Council convened for the purpose on the requisition of not less than two thirds of the members of the Council :

Provided further that nothing in these regulations shall prohibit the further discussion of any matter referred to the Council by the Central Government in the exercise of any of its functions under the Act;

(c) unless it raises substantially one definite issue;

(d) if it contains arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements:

Provided that if a motion can be rendered admissible by amendment, the President may in lieu of disallowing the motion admit it in an amended form.

(2) When the President disallows or amends a motion the Secretary shall inform the member who gave the notice of the motion of the order of disallowance or, as the case may be, of the form in which the motion has been admitted.

PART II

CONDUCT OF BUSINESS AT MEETINGS OF THE COUNCIL

9. (1) Every meeting of the Council shall be presided over by the President, if he is absent, by the Vice-President or if both the President and the Vice-President are absent, by a member to be elected by the members present from amongst themselves.

(2) All references in this part to the President shall be read as referring to the person for the time being presiding over a meeting.

10. The quorum necessary for transaction of business at a meeting of the Council shall be Nine. If, at the time appointed for a meeting, the quorum is not present, and if the quorum is not present, on the expiration of thirty minutes from the time appointed for the meeting or during the course of any meeting, the meeting shall stand adjourned to such future time and date as the President may appoint.

11. (1) Every matter to be determined by the Council shall be moved by a member and put to the Council by the President and shall be decided by a majority of the members present and voting.

(2) Votes shall be taken by show of hands or by division or by ballot, as the President may direct:

Provided that votes shall be taken by ballot, if three members so desire and ask for it ;

Provided further that, if voting has been by show of hands, a decision shall be taken, if at least one member asks for it.

(3) The President shall determine the method of taking votes by division.

(4) The result of the vote shall be announced by the President which shall be final.

(5) In the event of an equality of votes the President shall have a casting vote.

12. When motions identical in purport stand in the names of two or more members, the President shall decide whose motion shall be moved and the other motion or motions shall thereupon be deemed to have been withdrawn.

13. (1) Every motion or amendment shall be seconded and if not seconded shall be deemed to have been withdrawn.

(2) When a motion has been seconded, it shall be stated by the President.

(3) When a motion has been thus stated, it may be discussed as a question to be resolved either in the affirmative or in the negative, or any member may subject to regulations 14 and 15, move an amendment to the motion:

Provided that the President shall not allow an amendment to be moved which, if it has been a substantive motion, would have been inadmissible under regulation 5.

14. (1) An amendment must be relevant to and within the scope of the motion to which it is proposed.

(2) An amendment may not be moved which has merely the effect of a negative vote.

(3) The President may refuse to put to the Council an amendment which in his opinion is frivolous.

15. A motion may be amended by—

(a) the omission, insertion or addition of word or words;

(b) the substitution of words for any of the original words.

16. (1) When a motion or amendment is under debate, no proposal with reference thereto shall be made other than,—

(a) an amendment of the motion or of the amendment, as the case may be, as proposed in regulation 13;

(b) a motion for the adjournment of the debate on the motion or amendment either to a specified date and hour or sine die;

(c) a motion for the closure, namely, a motion that the question be now put;

(d) a motion that the Council instead of proceeding to deal with the motion do pass to the next item on the programme of business ;

Provided that no such motion or amendment shall be moved so as to interrupt a speech :

Provided further that no motion of the nature specified in sub-clauses (b), (c) and (d), shall be moved or seconded by a member who has already spoken on the question at the meeting:

Provided that no such motion or amendment shall as (c) and (d) shall be moved without a speech.

(2) It shall be in the discretion of the President to put or refuse to put to the Council a proposal of the nature specified in sub-clause (b) of clause (1).

(3) Unless the President is of the opinion that a motion for closure is an abuse of the right of reasonable debate he shall forthwith put a motion that the question be now put and if that motion is carried the substantive motion or amendment under debate shall be put forthwith:

Provided that the President may allow the mover of the substantive motion to exercise his right of reply before the substantive motion under debate is put.

17. A motion or an amendment which has been moved and seconded shall not be withdrawn save with the leave of the Council which shall not be deemed to be granted, if any member dissents from the granting of leave.

IndiaCode

18. When a motion has been moved and seconded, members other than the mover and the seconder may speak on the motion in such order as the President may direct :

Provided that the seconder of a motion or of an amendment may, with the permission of the President, confine himself to seconding the motion or amendment, as the case may be, and speak thereon at any subsequent stage of the debate.

19. During the meeting, the President may, at any time make any objections or suggestions or give information to elucidate any point to help the members in the discussion.

20. (1) The mover of an original motion, and if permitted by the President, the mover of any amendment, shall be entitled to a right of final reply; no other member shall speak more than once to any debate except with permission of the President, for the purpose of making a personal explanation or of putting a question to the member than addressing the Council:

Provided that any member at any stage of the debate may rise to a point of order, but no speech shall be allowed on that point :

Provided further that a member who has spoken on a motion may speak again on the amendment subsequently moved to the motion.

(2) No member shall, save with the permission of the President, speak for more than five minutes.

Provided that the mover of a motion when moving the same may speak for not more than ten minutes.

(3) A speech shall be strictly confined to the subject matter of the motion or amendment on which it is made.

(4) Any motion or amendment standing in the name of a member who is absent from the meeting or unwilling to move it, may be brought forward by another member with the permission of the President.

21. (1) A member desiring to make any observation on the matter before the Council, shall rise in his place and address the President.

(2) If at any time the President rises to speak any member speaking shall immediately resume his seat.

22. No member shall be heard at a meeting except upon the business before the Council.

23. (1) When an amendment to any motion is moved and seconded or when two or more such amendments are moved and seconded, the President shall, before taking the sense of the Council thereon, state or read to the Council the terms of the original motion and of the amendment or amendments proposed.

(2) An amendment to a motion shall be put to the vote first.

(3) If there be more than one amendment to a motion the President shall decide in what order they shalll be taken.

24. When any motion involving several points has been discussed, it shall be in the discretion of the President to divide the motion and put each or any point separately to the vote as he may think fit.

25. (1) The President may, if he deems necessary due to exigencies, at any time, adjourn any meeting to any future day or to any hour of the same day and state the reasons therefor.

(2) Whenever, a meeting is adjourned to a future day, the Secretary shall, send notice of the adjournment to every member who was not present at such meeting.

(3) When a meeting has been adjourned to a future day the President may change such day to any other day for compelling reasons and the Secretary shall send written notice of the change to each member.

(4) At a meeting adjourned to a future day any motion standing over from the previous day shall, unless the President otherwise directs, take precedence over other matters on the agenda.

(5) The President or a member may suggest a change in the order of business on the agenda, either at the beginning of the meeting or after the conclusion of the debate on a particular item during the meeting and if the Council agrees, such a change shall be made.

(6) No matter which had not been on the agenda of the original meeting shall be discussed at an adjourned meeting.

(7) The same quorum shall be necessary for an adjourned meeting as for an ordinary meeting.

26. (1) The President shall decide all points of order which may arise, and his decision shall be final.

(2) If any question arises with reference to procedure in respect of a matter for which these regulations make no provision, the President shall decide the same and his decision thereon shall be final.

(3) The President shall direct any business, which may be necessary for the Council or the Executive Committee to discuss and decide, to be transacted by circulation among the members of the Council or the Executive Committee as the case may be :

Provided that if ten members of the Council or three members of the Executive Committee, as the case may be, desire that any particular subject shall be decided at a meeting instead of by circulation, it shall be placed before a meeting of the Council or the Executive Committee.

(4) Any resolution or report which is circulated as stated above and approved by a majority of the members signing shall be binding as a resolution adopted, as if, in a meeting of the Council or the Executive Committee.

27. Four representatives of the Press at the discretion of the President, and other invitees, not exceeding four at a time, may be admitted to a meeting on production of permits from the Secretary. The representatives shall be required to obtain the previous approval

of the Secretary to the publication of their report of the proceedings. The President at any time may hold the meeting in camera in which case all invitees shall be required to withdraw.

PART III

MINUTES OF THE COUNCIL

28. The proceedings of the meetings of the Council shall be preserved in the form of printed minutes which shall be authenticated, after confirmation, by the signature of the President.

29. A copy of the minutes of each meeting shall be submitted to the President within ten days of the meeting and attested by him and they shall then be sent to each member within thirty days of the meeting.

30. The minutes of each meeting shall contain such motions and amendments as have been moved and adopted or negatived with the name of the mover and the seconder, but without any comment and without any record of observations made by any member at the meeting.

31. If any objection regarding the correctness of the minutes is received within thirty days of the despatch of the minutes by the Secretary such objection together with the minutes as recorded and attested shall be put before the next meeting of the Council for confirmation. At this meeting no question shall be raised excet as the correctness of the records of the meeting.

Provided that if no objection regarding a decision taken by the Council at a meeting is received within thirty days of the despatch by the Secretary of the minutes of that particular meeting, such decision may, if expedient, be put into effect before the confirmation of the minutes at the next meeting :

Provided further that the President may direct that action may be taken on a decision of the Council before the expiry of the period of thirty days specified above.

32. The minutes of the Council shall, as soon as is practicable after their confirmation, be made up in sheets and consecutively paged for insertion in a volume which shall be supplied free of cost each member of the Council; and such copies may be sold to the public at a price to be fixed by the Council.

33. A report shall be kept of the observations and of the discussions at the meetings of the Council in an accurate manner as far as possible for perusal by the members of the Council. The detailed proceedings of the meetings which shall be treated as 'Confidential' shall be kept in the office and shall be open to members for inspection. A copy of the proceedings in full or in part shall be supplied to any member, who may apply for it. Such copy shall be 'Confidential' and supplied on the payment of fee fixed by the President and such fee shall not exceed the cost of copying. No copy of proceedings held in camera shall be supplied out; but such proceedings can be inspected by the members

PART IV

POWERS AND DUTIES OF THE PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT

34. (1) The President shall exercise such powers and perform such duties as are contained in the provisions of the Act, the regulations, and standing orders of the Council. He shall do such acts as he considers necessary in furtherance of the objects for which the Council is established.

(2) In the case of urgency, the President may take the necessary action and intimate the fact to the Executive Committee and the Council provided that no such action shall be taken in anticipation of approval in matters of policy involving an expenditure exceeding Rs. 10,000 from the sanctioned budget.

35. If the office of the President is vacant or if the President for any reason is unable to exercise the powers or perform the duties of his office, the Vice-President shall act in his place and shall exercise the powers and perform the duties of the President.

PART V

RESIGNATION AND FILLING OF CASUAL VACANCIES

36. A member desiring to resign his seat on the Council shall send his resignation in writing to the President and his resignation shall take effect from the date on which it is accepted by the President or on the expiry of ninety days from the date of receipt of his letter to President, whichever is earlier, after confirmation from the member concerned.

37. When a casual vacancy by reason of death, resignation of a member or cessation of membership in accordance with section 6 of the Act, a report shall be made forthwith by the President to the Central Government for necessary action to fill up the vacancy, subject to proviso of section 7 of the Act.

PART VI

THE EXECUTIVE COMMITTEE-MEMBERSHIP, FUNCTIONS, MEETINGS ETC.

38. The Executive Committee shall have Nine members including the President, the Vice-President and the Secretary of the Council who shall act as President, Vice-President and Secretary respectively.

39. The meetings of the Executive Committee shall be generally governed by the regulations applicable to the meetings of the Council.

40. If at the time appointed for a meeting of the Executive Committee a quorum is not present the meeting shall not commence until a quorum is present, and if a quorum is not present on the expiration of an hour from the time appointed for the meeting or bring the course of any meeting, the meeting shall stand adjourned to such future date and time as the President may appoint 1/3 of the total members of the Executive Committee shall form a quorum.

41. The President, when present, shall preside every meeting of the Executive Committee and in his absence, the Vice-President. If both the President and the Vice-President are absent the members present shall elect one of the members present to preside over that meeting.

42. When a meeting of the Executive Committee is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necesary for the adjourned meeting.

43. (1) The term of office of an elected member of the Executive Committee shall be for three years from the date of his election or till the next Executive Committee takes over after its appointment whichever is later:

Notwithstanding anything contained herein, the Executive Committee shall cease to function with the termination of the Council that appoints the Committee, irrespective of the reasons for termination of the Council.

(2) A member of the Executive Committee shall be eligible for re-appointment.

44. The Executive Committee may invite a member of the Council who is not a member of the Executive Committee to attend any meeting of the Executive Committee. Any member so invited shall be free to participate in the discussions if the Executive Committee but shall not have the right to vote.

45. Within one week before the meeting of the Council, the Executive Committee shall ordinarily meet at the same place as of the Council meeting. The other meetings of the Executive Committee may take place at such other times and places as the President may determine. Notice and agenda of such meetings of the Executive Committee shall ordinarily be given not less than 12 days before the meeting.

46. The Executive Committee shall take into consideration the reports on the course of study, facilities for teaching and examinations, submitted by inspectors/visitors and shall thereupon prepare a report for submission to the Council.

47. The Executive Committee shall exercise all the powers of the Council in the implementation of the decisions of the Council and shall have the power to take decisions on behalf of the Council in all matters except these falling in the sphere of other Committees. It shall also perform all the functions of the Council that are of administrative nature :

Provided that this shall not apply to matters of policy involving an expenditure exceeding Rs. 25,000 per annum from out of the sanctioned budget provision of the Council that are of administrative nature.

48. A copy of the minutes of each meeting of the Executive Committee shall be admitted to the President within fifteen days of the meeting, and after having been attested by him shall be sent to each member of the Executive Committee within twenty days of the meeting.

If no objection to their correctness is received within fifteen days of their despatch, any decision therein shall be given effect to. The minutes shall be sent to the members of the Council after confirmation by the Executive Committee :

Provided that the President may direct that action be taken on a decision of the Executive Committee before the expiry of the period of fifteen days specified above, in exigencies.

PART VII

COMMITTEES

49. (1) The Council may at any time on the adoption of a motion to this effect, constitute any or all of the following Committees, namely :—

(a) Education Committee;

(b) Regulations Committee;

(c) Finance Committee;

(d) Registration Committee; and

(e) Liaison Committee.

(2) The powers and functions of each Committee and the number of its members shall be determined at the time of the constitution of the Committee and unless the Council otherwise specifies, each Committee shall have full power, within the sphere of the functions assigned to it, to take decisions :

Provided, however, that its decisions shall be subject to ratification by the Council in the following cases, namely:—

(i) where matters of policy are involved;

(ii) where the Committee's decision involves an expenditure on items exceeding Rs. 1,000 per annum from out of the sanctioned budget; and

(iii) where according to the provisions of the Act, regulations or standing orders of the Council, orders of the Council are necessary.

(3) The Chairman of each of these Committees shall be elected by respective members of the Committee.

(4) If a motion for appointment of a Committee is adopted, the mover shall name the members to be appointed as members of the Committee and any member may then moves amendments proposing the addition of other names.

(5) If the number of members proposed as members of the Committee does not exceed the total number of members to form the Committee, the members so proposed shall be appointed as member of the Committee. If the number of members so proposed exceeds the total number of members to form the Committee, ballot shall be held and the requisite number of members, who obtain the largest number of votes shall be appointed.

50. (1) The Council may at any time, on the adoption of a motion to this effect, appoint any other Committee.

(2) A motion for the appointment of a Committee shall define the functions and powers of the Committee and the number of its members.

(e) to delegate any of its powers to the President, Vice-President, Committee, any authority or Officer of the Council:

Provided that the Executive Committee shall place before the next meeting of the Council full information about any action taken in respect of the movable or immovable property of the Council:

Provided further that no sale, lease or any other transfer of immovable property as specified in clauses (c) and (d) exceeding two thousand rupees in value shall be made without the previous sanction of the Council.

60. The Council is authorised to receive for the purpose of its expenses, benefactions and contributions from private persons and bodies with the prior permission of the Central Government and the proceeds of sale of reports and other publications.

61. The Bankers of the Council shall be the local branch of State Bank of India. All funds of the Council shall be paid into the Council's account with that Bank and shall be withdrawn by means of cheques jointly signed by the President or in his absence the Vice-President and the Secretary. The cheque books shall remain in the personal custody of the Secretary.

62. The funds of the Council surplus to current requirements may on recommendations by the Secretary and with the sanction of the Finance Committee be invested in the following manner, namely :—

(i) in promissory notes, stock or other securities of any State or Central Government;

(ii) in stock or debentures or shares in companies, interests which have been guaranteed by the Government of India; and

(iii) in debentures or other securties for money issued under the authorities of an Act or on behalf of any Municipal Body, Port Trust or City Improvement Trust.

63. An investment of the funds of the Council shall be made in the name of the Council. The safe custody of receipts shall remain in the personal charge of the Secretary and shall be verified once in six months with the register of securities maintained under regulation 71 and a certificate of verification shall be recorded by the Secretary on the register and countersigned by the President.

64. The Finance Committee shall prepare detailed estimate of receipts and expenditure for the next financial year and shall submit the same for approval by the Executive Committee at its next meeting to be held for the purpose before the first of November every year. One copy of the approved estimates shall be submitted to the Council and another to the Secretary Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India, by the first of November every year.

65. The funds of the Council shall not be appropriated for expenditure on any item which has not been duly sanctioned by the Council or by the President or Secretary as the case may be.

66. The Primary units of the appropriations shall be "pay of officers", "pay of establishment", "allowances and honoraria", "contingencies" and "leave, pension and provident fund contributions".

67. The President shall have power to reappropriate funds from one unit of appropriation to another within the total sanctioned estimate. Copies of orders sanctioning such reappropriation shall be communicated to the Executive Committee.

68. The Secretary shall have power to sanction expenditure on miscellaneous and contingent nature upto an amount not exceeding Rs. 500 in each case. Expenditure in excess of that amount shall require the sanction of the President.

69. A permanent advance of Rs. 500 shall be made to the Secretary.

70. The Secretary shall be the certifying officer for travelling, halting and other allowances to Members, Inspectors, Visitors and other employees of the Council and the President for those of the Secretary.

71. The following registers shall be maintained by the Council, namely,—

(1) The Cash Book,

(2) The Classified Abstract,

(3) The Register of Securities,

(4) The Register of Stock and Furniture,

(5) The Register of Stock of Cheque Books,

(6) The Register of leave, Provident Fund and pension contributions,

(7) The Register of permanent advances,

(8) Annual Accounts, and

(9) Any other account Register.

72. The monthly accounts shall be compiled in the classified abstract according to the primary units of appropriation. Suitable secondary units may be opened at the discretion of the Secretary, who shall be responsible for the due preparation and maintenance of all accounts.

73. (1) The Accounts of the Council shall be audited annually by the Comptroller and Auditor-General of India or any person appointed by him in this behalf. Any expenditure incurred by him or any person so appointed in connection with such audit shall be payable by the Council.

(2) The Comptroller and Auditor-General of India or any person appointed by him in this behalf shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General has in connection with the audit of Government accounts and in particular shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and such other necessary documents and papers.

Indiacode

(3) The result of the audit shall be communicated by the Auditor to the Council and after the Executive Committee has considered the same, the audit report and the audited statement of accounts shall be forwarded to the Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India. Copies of the audit report shall at the same time be circulated to all the members of the Council, for information :

Provided that if release of Government grant is held up for want of audited accounts, President may forward the audited accounts to the Central Government immediately on receipt of the same from the Auditor.

[No. 4-1/90-VCI]

(PROF.) (DR.) RAMA KUMAR V., Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991